संख्या–2115 / 18–4–10–1(बजट) / 07

प्रेषक,

राम किशोर,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 09 जून, 2010

विषय–क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत 03 क्लस्टरों के हार्ड इन्टरवेंशन हेतु राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशक के पत्र संख्या–2397 / क्ल0अनु0 / 2009–10, दिनांक 3.03.2010 एवं पत्र संख्या–मेमो0 / क्लस्टर–बजट / 2010–11, दिनांक 7.6.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित 03 क्लस्टरों के हार्ड इन्टरवेंशन हेतु राज्यांश रूपये 2,61,25,000.00 (दो करोड इकसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि भारत सरकार के उल्लिखित आदेशों में दिये गये निर्देश एवं शर्तो के अनुसार व्यय करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

धनराशि रू0 लाख में।

क्र	क्लस्टर का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	एस0पी0वी0	भारत सरकार के आदेश एवं दिनांक
1.	पाटरी क्लस्टर, खुर्जा।	109.74	36.58	36.58	15(8)सी0डी0डी0 / सीएफसी / पाटरी खुर्जा / 09, दिनांक 17.2.2010
2.	सीजर क्लस्टर मेरठ ।	198.188	148.641	148.641	15(15) सी0डी0डी0 / सीएफसी / सीजर क्लस्टर / निस्बड / 07 दिनांक 18.2.2010
3.	लेदर क्लस्टर, चौरी–चौरा, गोरखपुर।	152.058	76.029	25.343	टीएम / यूएनडी / 83 / 07 / पीटी, दिनांक 26.02.2010
	कुल योग	459.986	261.25	210.564	

2.1 प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के लेखों की सम्परीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा–1), उ0प्र0 इलाहाबाद व भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षा भारत सरकार नई दिल्ली तथा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आन्तरिक सम्परीक्षा दल के सम्परीक्षणाधीन होगी।

2.2 सामूहिक सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) हेतु क्रय की जाने वाली मशीनरी एवं अन्य उपकरणों इत्यादि की सूची को अन्तिम रूप देते हुए एस0पी0वी0 (SPV) अवस्थापना सुविधा के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर देगें । इस सम्बंध में प्रगति की सूचना के साथ–साथ एस0पी0वी0 / क्लस्टर एक्टर / राज्य सरकार द्वारा अपना अंश निर्गत किये जाने की पुष्टि के बाद ही केन्द्रांश उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 को निर्गत किया जायेगा।

2.3 मशीनरी एवं अन्य उपकरणों एवं संयत्रों की खरीद भारत सरकार की क्रय प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

2.4 सामूहिक सुविधा केन्द्र द्वारा केन्द्रांश की प्रथम किश्त के अवमुक्त होने के दस माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

2 / ....

2.5 एस0पी0वी0 का गठन वास्तविक लाभार्थियों द्वारा जैसे पंजीकृत समिति, ट्रस्ट, कम्पनी आदि के विधिमान्य स्वरूप में होना चाहिए।

2.6 इस प्रकार गठित एस0पी0वी0 में किसी एक इकाई का वित्तीय अंशदान दस प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए। क्लस्टर इकाई का बहुमत अंश (Majority Share) होना चाहिए। इस प्रकार बनाई गयी सोसाइटी के उपनियम बनाकर भारत सरकार को तत्काल धन अवमुक्त करने हेतु भेज दिया जाय।

2.7 इस प्रकार से गठित एस0पी0वी0 में आगे चल कर नये सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रावधान होना चाहिए।

2.8 भारत सरकार का अंश अनावर्तक अनुदान होगा। सभी आवर्तक व्यय एस0पी0वी0 द्वारा वहन किया जायेगा।

2.9 सी0एल0आर0आई0 चेन्नई कार्यदायी संस्था को (टेक्निकल) तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। बीच में कोई संशोधन या परिवर्तन बिना सी0एल0आर0आई0 के सहमति से नही किया जायेगा।

2.10 कार्यदायी संस्था तथा नोडल एजेन्सी द्वारा प्रगति आख्या यथा समय प्रस्तुत की जायेगी। भारत सरकार के सूक्ष्य, लघु मध्यम तथा उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि सामूहिक सुविधा केन्द्र का निरीक्षण करेंगें।

2.11 सामूहिक सुविधा केन्द्र पर स्वामित्व उ0प्र0 सरकार का होगा, हालॉकि दिन–प्रतिदिन का कार्य चलाने तथा अनुरक्षण करने का उत्तरदायित्व एस0पी0वी0 का होगा।

2.12 भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार एवं एस0पी0वी0 के बीच में एक त्रिपक्षीय अनुबंध भारत सरकार की प्रथम किश्त के अवमुक्ति के पूर्व किया जायेगा।

2.13 सामूहिक सुविधा केन्द्र, (सी0एफ0सी0) की सुविधा क्लस्टर में वर्तमान सभी इकाईयों एवं भविष्य में स्थापित होने वाली इकाईयों को उपलब्ध होगी।

2.14 राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जनसंख्या के अनुपात के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एस0सी0/एस0टी0) के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व क्लस्टर में एस0पी0वी0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसी अनुपात में एस0पी0वी0 की प्रबंध समिति में जो सी0एफ0सी0 के संचालन के लिए उत्तरदायी होगी में भी उनका प्रतिनिधित्व होगा।

2.15 एस0पी0वी0 का प्रबंधन (Office Bearers) चकानुक्रम में होगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कमजोर वर्गो के कर्मकारों का क्लस्टर में शोषण न हो।

2.16 खरीदे जाने वाले उपकरण एवं संयत्र मानक श्रेणी या प्रस्ताव में दिखायी गयी क्षमता के समतुल्य होगी।

2.17 लेदर क्लस्टर चौरी–चौरा, पाटरी क्लस्टर खुर्जा, सीजर क्लस्टर मेरठ के शोधन एवं उत्पादन के लक्ष्य एवं शर्ते भारत सरकार के सम्बन्धित पत्र संख्या–टी0एम0/यू0एन0डी0/83/2007/पी0टी0, दिनांक 26.2.2010, पत्र संख्या–15(8)/सी0डी0डी0/सी0एफ0सी0/पाटरी/खुर्जा–2009, दिनांक 17.2.2010 एवं पत्र संख्या– 15(15)/सी0डी0डी0/सी0एफ0सी0/सीजर क्लस्टर/निस्बड/2007, दिनांक 18.2.2010 में दिये गये है जो संलग्न है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जाय। उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी । किसी भी दशा में शासन की अनुमति से पूर्व स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के कियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन एवं इस सम्बधं में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप पत्र संख्या–बी–1–951/दस–10–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 एवं

शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित कराने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी–एम–13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

6. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)–1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–3 आयोजनागत के लेखा शीर्षक–"2851 ग्राम तथा लघु उद्योग– 102–लघु उद्योग–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना–27–सब्सिडी" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या–ई–326/दस–2010 दिनांक 09जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,

(राम किशोर)
अनु सचिव।

संख्या–2115(1)/18–4–10–1(बजट)/07 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. उप निदेशक (सी0डी0) कार्यालय विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा–।) सी0ए0एस0एस0–3/टी0डी0ए0 कोऑर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
5. कोषाधिकारी, कानपुर।
6. वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निर्यात निगम–लि0, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0जी0सी0आर0आई0,खुर्जा/निस्वड, नोएडा/एमएसएमई, कानपुर।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 नियोजन अनुभाग–4 लघु उद्योग अनुभाग–3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव।